

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- 27-06-2017

क्र. 01/अ-82/2015-16 चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

1. जिला-रायगढ़
2. तहसील-पुसौर
3. ग्राम/नगर-ठेंगापाली
4. भूमिका क्षेत्रफल-3.153 हे०

खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)
265/1	0.049	281/1घ	0.047	281/2झ	0.069
265/2	0.049	281/1ङ		282/1	0.020
265/3	0.329	281/1च	0.008	282/2	0.020
265/4	0.065	281/1छ	0.008	282/3	0.089
266	0.246	281/1ज	0.008	320	0.255
268/1	0.032	281/2क	0.053	321/1	0.190
269	0.154	281/2ख	0.028	322/1	0.008
279/2	0.304	281/2घ	0.057	322/3	0.081
280	0.384	281/2ङ	0.053	323/1	0.085
281/1क/1	0.039	281/2च	0.024	324/1	0.166
281/1ग	0.065	281/2छ	0.024	327	0.100
281/1ग/1	0.036	281/2ज	0.008	कुल खसरा 35 कुलरकबा 3.153 हे०	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव
छ. ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन